Mob.: 9412556747

स्व0 गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति

बरमूपुर, औरैया (उ.प्र.)

पत्रांक दिनांक 15.01.2021

NOTARIAL NOTARIAL

Undertaking for Parent Hospital

This is to certify that, **Shri Gulab Singh Hospital** at **Phaphund Road, Auraiya U.P. 206122** is a **150** bedded hospital which is running under **Shri gulab Singh Shiksha Prasar Samiti, Barmupur Auraiya** . **Late Gulab Singh Shiksha Prasar Samiti** hereby agree that **Shri Gulab Singh Hospital** will be the Parent Hospital of the nursing College named, **Shri Gulab singh College of Nursing and Paramedical, Phaphund Road Auraiya U.P.206122** which is also under the same Society. And we, the Society have no objection for giving clinical practice for the nursing students in **Shri Gulab Singh Hospital** and assuring that, this hospital will not be a parent hospital or will not be affiliated for any other nursing institutions. Tantamounting to say that the **Shri Gulab Singh Hospital** is affiliated exclusively to **Shri Gulab singh College of Nursing and Paramedical**, not to any other college and the governing body of **Shri Gulab Singh Hospital** that is Mr. Vishwanath Singh, the Secretary of the institution's Society.

Signature of President

Smt. Kamlesh Kumari

N. 118/21

15 JAN 2021

Signature of other society members

1. Shiv Kumar
2. Vishwanath Singh
3. Mahendra Pratap
4. Ranjeet Pratap Singh
5. Tukman Singh
6. Narendra Singh

Scanned with OKEN Scanner

Provisional registration No:**0916200001**

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

District Registering Authority
AURAIYA

CERTIFICATE OF PROVISIONAL REGISTRATION

This is to certify that ***SHRI GULAB SINGH HOSPITAL*** located at ***PHAPHUND ROAD AURAIYA*** owned by ***VISHNATH SINGH*** has been granted provisional registration as a clinical establishment under Section 15 of The Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010. The Clinical Establishment is registered for providing medical services as a ***Hospital, MALTI SPECIALTY*** under ***Allophathy*** System of Medicine.

This Certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

DRA: Auraiya
Designation of the Issuing Authority

Place: Auraiya
Date of Issue: 08/05/2023

*Terms and Conditions of Registration**

1. The holder of this Certificate of Registration shall comply with all the provisions of Clinical Establishment Act (Registration and Regulation) 2010 and the Rules made there under.
2. The Certificate of Registration is not transferable. The Certificate of Registration shall be displayed in a prominent place in a part of the premises open to the public.
3. Any change of ownership or change of category or change of management or on ceasing to function as a clinical establishment, the certificate of registration shall be surrendered to the authority and application for fresh registration submitted.

**Additional terms and conditions are as stipulated by the appropriate registering authority.*

http://clinicalestablishments.gov.in/AuthenticatedPages/DRA/Provisional.aspx?StatusId=QqFt[illegible]2fIps%3d&DistrictId=QfdJGcwNk70%3d; Date:08/05/2023

उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी
/नोडल अधिकारी
औरैया

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
औरैया

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01825/2020-2021 दिनांक 05/01/2021

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण
संख्या:R/AUR/13654/2020-2021 पत्रावली संख्या:K-35294 दिनांक:2005-2006

एतददवारा प्रमाणित किया जाता है कि **स्व0 गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति, बरमूपुर, औरैया 206122, औरय्या , 206122** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 1011/2005-06 दिनांक-01/12/2005 को दिनांक-01/12/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1000 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(akhilesh chandra MAURYA)
7303EA10B1918A05BDAE7DA4554C1288120C4FA2
Date: 05/01/2021 4:26:11 PM, Location: Kanpur.

जारी करने का दिनांक-05/01/2021

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AD 580460

यह जनरल स्टाम्प पेपर..

....

जिला.................. फाइल सं0..................

.... के साथ संलग्न है।

कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश

सत्यमेव जयते

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

...मंडल कानपुर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

-::- संशोधित स्मृति पत्र -::-

संस्था का नाम	:	स्व0 गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
संस्था का पता	:	बरमूपुर, औरैया
संस्था का कार्यक्षेत्र	:	समस्त उ0प्र0 व आवश्यकता पड़ने पर सम्पूर्ण भारतवर्ष (आल इण्डिया)

संस्था के उद्देश्य :

1. संस्था के कार्यक्षेत्र में छात्र एवं कन्या नर्सरी प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, मदरसा आदि खोलना एवं उनका संचालन करना।
2. कम्प्यूटर प्रशिक्षण, सिलाई–कढ़ाई, दरी–कालीन, हेन्डीक्राफ्ट, बढ़ईगीरी, पापड़ बनाना, साबुन बनाना, लोहे के गेट, जाली, शटर बनाना, टी0वी0 ट्रेनिंग, घड़ी, साज, रेडीमेड गारमेन्ट्स, दोना–पत्तल बनाना, बैग–अटैची निर्माण, पेंटिंग, टाइपिंग एवं कलात्मक, रचनात्मक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना एवं उनका संचालन करना।
3. नर्स डिप्लोमा कोर्स, फार्मासिस्ट, आई.टी.आई., कम्प्यूटर कालेज, पालीटेक्निक कालेज, बहुउद्देशीय तकनीकी कालेजों की स्थापना करना और उनका विधिवत् संचालन करना।
4. अनाथालय, वृद्धा आश्रम, नारी निकेतन, महिला अल्प आवास गृह को खोलना एवं उनका संचालन करना।
5. संस्था के कार्यक्षेत्र में पुस्तकालय, वाचनालय, व्यायामशाला, निःशुल्क चिकित्सालय, धर्मार्थ चिकित्सालय, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, छात्रावासों को खोलना एवं संस्था परामर्श केन्द्रों को खोलना एवं उनका संचालन करना।
6. संस्था के कार्यक्षेत्र में विकलांगों को विविध प्रकार के ग्रामोद्योगी एवं तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कराना उनको कृत्रिम अंग उपकरण दिलाना तथा मूक, बधिर स्कूलों का संचालन करना।
7. समय–समय पर सक्षम अधिकारियों से अनुमति लेकर नेत्र शिविरों, स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रों, टीकाकरण, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों, कुष्ठ रोगी सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

महेन्द्र प्रताप
नरेन्द्र सिंह

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर
28/12/14

अध्यक्ष
स्व0गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर-औरैया

प्रबन्धक
स्व.गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर,औरैया

Scanned with OKEN Scanner

8. संस्था के कार्यक्षेत्र में नागरिकों में स्वाभिमान राष्ट्रीयता एवं अन्तर्राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, आपसी भाई–चारे की भावना पैदा करना।

9. पर्यावरण सुधार, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, टीकाकरण, वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए, महिला वित्त विकास निगम, उ0प्र0 अल्पसंख्यक वित्तीय विकास निगम एवं अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम एवं पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम से सभी योजनायें संचालित करना।

11. संस्था के कार्यक्षेत्र में कपार्ट, ड्वाकरा, सूडा सेल, डूडा, नोराड, ट्राइसेम, डी.आर.डी.ए., नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, स्वतः रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के कार्यक्रमों का संचालन करना।

12. संस्था के कार्यक्षेत्र में उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग, ग्रामीण कुटीर उद्योग निदेशालय, जिला उद्योग केन्द्रों आदि के समस्त प्रकार के ग्रामोद्योगों के शिक्षण–प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड आयोग से या बैंकों से ऋण अनुदान प्राप्त करके या मनीमार्जन स्कीम के अंतर्गत ऋण प्राप्त करके ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करना, लगाना, चलाना, ग्रामोद्योगी वस्तुओं का उत्पादन एवं बिक्री करना, प्राप्त आय को उद्देश्यों की पूर्ति एवं चेरीटेबिल कार्यों पर व्यय करना।

13. गरीब लड़के–लड़कियों का सामूहिक विवाह समारोह कराना, विधवा विवाह, पुर्नविवाह आदि करवाना।

14. सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, दैवीय आपदाओं, दुर्घटनाओं, बाढ़, अग्नि, पीड़ित जनता की सहायता करना।

15. कृषि के क्षेत्र में भूमि सुधार कार्यक्रम, कृषि विविधीकरण, किसान परामर्श केन्द्र, खाद बनाने की जानकारी, फल, फूलों पर आधारित कृषि करवाना, कृषकों के लिए प्रमाणित बीजों का वितरण, अनाज भंडारण एवं कृषि सम्बन्धित समय–समय पर जानकारी देना।

16. ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित योजनायें स्वजलधारा, हैण्डपम्प लगवाना, शुष्क शौचालयों का निर्माण, नाली बनवाना, तालाब खुदवाना।

सत्यप्रतिलिपि

उप निबन्धक कार्यालय उत्तर प्रदेश कानपुर
सत्यमेव जयते

अध्यक्ष
स्व0गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर–औरैया

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

प्रबन्धक
स्व0 गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर, औरैया

17. मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, डेयरी आदि की स्थापना करना एवं उनका संचालन करना।

18. मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार एवं समाज कल्याण बोर्ड, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय की भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं को संचालित करना एवं कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।

19. संस्था के क़ार्यक्षेत्र में पालनाघर, शोध संस्थान, गौशाला, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलना एवं उनका संचालन करना।

20. संस्था के विकास हेतु दान–अनुदान एवं विदेशी अनुदान प्राप्त करना।

21. संस्था के कार्यक्षेत्र में कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं उन्हें संचालित करना।

22. राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देना एवं प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना।

23. नेहरू युवा केन्द्रों से कार्यक्रमों का संचालन करना।

24. मूक बधिर, नेत्रहीन, मानसिक मन्दित/विक्षिप्त विशेष आदि सभी दिव्यांग बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय/अनावासीय विद्यालय का संचालन करना।

25. मूक बधिर, नेत्रहीन, मानसिक मन्दित/विक्षिप्त विशेष आदि समस्त प्रकार के दिव्यांगों को समाज़ की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सेमिनार, कार्यशाला, प्रचार प्रसार आदि कार्यक्रम कराना।

26. समस्त प्रकार के दिव्यांगजनों को रोजगार प्रदान करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करना।

27. समय–समय पर दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग/सहायता वितरण कराने के साथ–साथ आवश्यकतानुसार शल्य चिकित्सा कराने का कार्यक्रम कराना।

28. संस्था का उद्देश्य दिव्यांग एवं असहाय बच्चों के शैक्षिक व बौद्धिक विकास हेतु स्नातक, परास्तनाक, बी0एड0, डी0एड0, सिलाई, कम्प्यूटर कोर्स आदि, शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की मान्यता प्राप्त कर पठन–पाठन की व्यवस्था कराना। शासन की अनुमति से मेडिकल, पैरामेडिकल, इन्जीनियरिंग कालेज खोलन संचालन करना।

29. संस्था के कार्यक्षेत्र में केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित हेतु अनुदान प्राप्त कर सम्बन्धित विभाग से सम्पर्क स्थापित कर समस्त प्रकार के दिव्यांगों को सहायता प्राप्त कराना।

30. कौशल विकास कार्यक्रमों द्वारां बेरोजगारों को स्वावलम्बी बनाना तथा जन सेवा प्रदाता के रूप में कार्यक्रमों को प्राप्त कर जन कल्याण हेतु चलाना।

उप निबन्धक ... सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश कानपुर

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

प्रबन्धक
स्व गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर, औरैया

Scanned with OKEN Scanner

5. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता व पद व्यवसाय जिन्हें संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है।

क्र.सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती कमलेश कुमारी	पत्नी श्री विश्वनाथ सिंह	सत्तेश्वर, औरैया	अध्यक्ष	गृहकार्य
2.	श्री शिवकुमार	श्री जयचन्द्र सिंह	फर्रुखाबाद	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री विश्वनाथ सिंह	गुलाब सिंह	सत्तेश्वर, औरैया	प्रबन्धक/सचिव	व्यापार
4.	श्री महेन्द्र प्रताप	श्री जयचन्द्र सिंह	वनकिया, धीरपुर, फर्रुखाबाद	कोषाध्यक्ष	कृषि
5.	श्री मुन्ना सिंह उर्फ रंजीत प्रताप सिंह	श्री विश्वनाथ सिंह	बरमूपुर, औरैया	निरीक्षक	कृषि
6.	श्री तुकमान सिंह	श्री दौलात सिंह राजावत	अहेरीपुर, महेवा, इटावा	सदस्य	कृषि
7.	श्री नरेन्द्र सिंह	श्री दौलत सिंह	अहेरीपुर, औरैया	सदस्य	कृषि

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि इस स्मृतिपत्र एवं नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजि0अधि0 सं0 21 सन् 1860 अन्तर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

दिनांक : 12.11.2017

अध्यक्ष
स्व0गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर-औरैया

प्रबन्धक
स्व.गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर,औरैया

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

32AD 580428

यह जनरल स्टाम्प पेपर..................

जिला..................फाइल सं०..........

..........के साथ संलग्न

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

कानपुर मण्डल कानपुर

:: नियमावली ::

1. संस्था का नाम : स्व0 गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
2. संस्था का पता : बरमूपुर, औरैया
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : समस्त उ0प्र0 व आवश्यकता पड़ने पर सम्पूर्ण भारत वर्ष (आल इंडिया)
4. संस्था के उद्देश्य : स्मृति-पत्र के अनुसार होंगे।
5. **संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :**

कोई भी महिला/ पुरुष जो इस संस्था के नियमों का पालन करने को तैयार हो तथा उद्देश्यों मे आस्था रखते हों वे इस संस्था के सदस्य अध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव द्वारा बनाये जायेंगे।

(अ) संस्थापक सदस्य :

जो व्यक्ति संस्था को स्थापना के समय 100001 रु0 प्रदान करेगा वह इस संस्था का संस्थापक सदस्य होगा। संस्थापक सदस्य अपने जीवनकाल में पृथक नहीं किया जा सकेगा किन्तु संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर प्रबन्धक को यह अधिकार होगा वह उसको पृथक कर सकता है।

(ब) आजीवन सदस्य :

जो व्यक्ति इस संस्था को 5000/-रु0 (पांच हजार रुपए) एक बार में एक मुश्त दान स्वरूप अदा करेंगे, समय-समय पर सहयोग करेंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य प्रबन्धक/सचिव द्वारा बनाये जायेंगे।

(स) सामान्य सदस्य :

जो व्यक्ति इस संस्था को 10001/-रु0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में अदा करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य प्रबंधक/सचिव द्वारा बनाये जायेंगे।

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

प्रबन्धक
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर - औरैया

अध्यक्ष
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर - औरैया

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner

(द) **विशिष्ट सदस्य :**

जो व्यक्ति समाजसेवी सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त निष्ठावान एवं प्रतिष्ठित होंगे वे संस्था के प्रबन्ध समिति द्वारा एक वर्ष की अवधि हेतु विशिष्ट सदस्य मनोनीत किये जायेंगे। मताधिकारी नहीं होंगे, सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे। स्वेच्छा से कोई धनराशि या चल अथवा अचल सम्पत्ति दे सकते है।

6. **सदस्यता की समाप्ति :** 1. मृत्यु, पागल, दिवालिया होने पर, 2. संस्था के विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने पर, 3. संस्था का निर्धारित सदस्यता शुल्क न देने पर, 4. संस्था की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, 5. अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर, 6. स्वयं त्याग-पत्र देने के पश्चात त्याग-पत्र स्वीकृत होने पर ।

7. **संस्था के अंग** संस्था के दो अंग है।

(अ) साधारण सभा

(ब) प्रबन्ध कारिणी समिति

(अ) साधारण सभा

1. गठन - साधारण सभा में से सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन होगा।

2. बैठकें - साधारण सभा की सामान्य बैठकें वर्ष में एक होगी तथा विशेष बैठकें आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर किसी भी समय अध्यक्ष को अनुमोदन पर सचिव/प्रबन्धक द्वारा बुलाई जायगी।

3. **सूचना अवधि :** सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व तथा विशिष्ट बैठकों की सूचना सदस्यों तीन दिन पूर्व सूचना किसी भी माध्यम से दी जायेगी।

प्रबन्धक
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
... - औरैया

अध्यक्ष
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर - औरैया

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक

4. **गण पूर्ति :** गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों में से 2/3 उपस्थिति सदस्यों की होगी कारम के अभाव में बैठकें स्थगित हो जायगी। पुनः बुलाई गयी बैठकों के लिये कोरम की कोई आवश्यकता न होगी।

5. **विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :** संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष हुआ करेगा जिसकी तिथि संस्था की प्रबन्ध समिति तय करेगी।

6. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :-**

(अ) संस्था की प्रबन्ध समिति का निर्वाचन करना।

(ब) संस्था के वार्षिक आय व्यय, बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट को स्वीकृत करना।

(स) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन करना।

(द) प्रबेन्धु समिति द्वारा पारित प्रस्तावों का अनुमोदन करना।

(ब) **प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति :**

1. **गठन :** साधारण सभा में से बहुमत या गुप्त मतदान या चुनाव प्रक्रिया या हाथ उठाकर प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का गठन होगा। प्रबन्ध कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक/सचिव एक कोषाध्यक्ष एक निरीक्षक तथा दो सदस्य इस प्रकार सात व्यक्तियों की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की आवश्यकता अनुसार नौ तक घटायी व बढ़ायी जा सकती है। प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा व संचालित विद्यालय इकाइयों के पदाधिकारी होंगे। संस्था के अध्यक्ष प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चुनाव संस्था सदस्यों में से ही होगा। कार्यकारिणी के चुनाव में प्रबन्धक का पद आजीवन होगा इस पद का चुनाव नहीं कराया जायेगा । साथ ही उसे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत करने का अधिकार होगा ।

शिवकुमार
मुन्ना सिंह
तुकमान सिंह
महेन्द्र प्रताप
गौरी शंकर
नरेन्द्र सिंह
Ramautar

सत्य–प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

विश्वनाथ सिंह
प्रबन्धक
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति

कमलेश कुमारी
अध्यक्ष
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति

Scanned with OKEN Scanner

2. **बैठकें :** प्रबन्ध कारिणी समति की सामान्य बैठकें वर्ष में दो बार होगी तथा विशेष बैठकों की सूचना सदस्यों को देकर किसी भी समय अध्यक्ष के अनुमोदन पर प्रबन्धक/सचिव द्वारा बुलाई जायगी।

3. **सूचना अबधि :** प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को सात दिन पूर्व तथा विशेष की सूचना सदस्यों को तीन दिन पूर्व दी जायगी।

4. **गणपूर्ति :** गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों में से 2/3 उपस्थित सदस्यों को कारम के अभाव में तो बैठके स्थगित हो जायेगी। तो पुनः बुलाई गयी बैठकों के लिये कोरम की कोई आवश्यकता न होगी।

5. **रिक्त स्थानों की पूर्ति :** प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के अन्तर्गत् कोई भी आकस्मिक स्थान रिक्त होने पर उस स्थान की पूर्ति साधारण सभा की बैठकों में शेष कार्यकायल के लिये कर ली जायगी।

6. **प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :**

1. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना ।
2. संस्था के वार्षिक आय व्यय बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रिपोर्ट को तैयार करना ।
3. संस्था के विवादों को सुलझाना
4. संस्था के संचालन हेतु निगम उपनियम बनाना उपसमितियां बनान, योजनायें बनाना नीति निर्धारित करना विविध नामों से स्कूल खोलना एवं उनका संचालन करना।
5. उद्देश्यो की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों नागरिकों, वित्तीय संस्थाओं संशाधनों बैकों, कपार्ट, सूडा सेल अन्य सराकारी

कार्यालय उप निबन्धक उत्तर प्रदेश कानपुर
सत्यमेव जयते

शिवकुमार
मुन्ना सिंह
तुकमान सिंह
महेन्द्र प्रताप
गौरी शंकर
नरेन्द्र सिंह
Ramautar

सत्य–प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

प्रबन्धक
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
...पुर • औरैया

अध्यक्ष
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
...पुर • औरैया

Scanned with OKEN Scanner

विभागों से दान अनुदान, चन्दा ऋण चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करेगी।

6. अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के हित में हों।

7. **कार्यकाल** : प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा।

6. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

(अ) **अध्यक्ष :**

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. बैठकों के लिये तिथियों का अनुमोदन करना, बैठकों को बुलाना एवं स्थगित करना।
3. किसी विषय पर समान मत आने पर अपना एक निर्णायक मद देना ।
4. संस्था की बैठकों में शान्ति बनाये रखना बैठकों में प्रस्ताव रखने की अनुमति देना।
5. संस्था की चल व अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण किराये पट्टे पर लेने-देने सम्बन्धी प्रपत्रों के दस्तावेजों शर्तनामों बैनामों आदि पर सचिव/प्रबन्धक के साथ हस्ताक्षर करना।

(ब) **उपाध्यक्ष :**

अध्यक्ष की अनुपस्थित में उनके कार्यों को करना एवं सामान्य स्थिति में उनके कार्यों को कराना

(स) **प्रबन्धक/~~सचिव~~**

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्र व्यवहार करना ।
2. संस्था का प्रशासनिक पदाधिकारी होगा।
3. संस्था की बैठकों की कार्यवाही लिखना लिपिबद्ध करना, सुनाना, कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।
4. संस्था की अदालती कार्यवाही करना।

शिवकुमार
मुन्ना सिंह
लुकमान सिंह
महेन्द्र प्रताप
गौरी शंकर
नरेन्द्र सिंह
Ramautar

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

कमलेश कुमारी
अध्यक्ष
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
ब०पुर - औरैया

विश्वनाथ सिंह
प्रबन्धक
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
ब०पुर - औरैया

(मोहर: सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स उत्तर प्रदेश कानपुर)

Scanned with OKEN Scanner

5. संस्था के अन्तर्गत संचालित विद्यालयों इकाइयों, केन्द्रों में, अध्यक्ष की सलाह से प्रधानाचार्या कर्मचारियों कार्यकर्ताओं कारीगरों, लिपिक, चपरासी, स्वीपर, सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति निष्कासन, पदोन्नति पदोच्युत करना वेतन तय करना व भुगतान करना संस्था के समस्त स्टाप की चरित्र पंजिकाओं को रखना उनके कार्य के आधार पर अनुकूल एवं प्रतिकूल प्रविष्ठि करना कारण बताओ नोटिस जारी करना पृथक या निलम्बित करना।

6. संस्था के चल व अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना हस्तांतरण, किराये, पट्टे पर लेन-देन सम्बन्धित प्रपत्रों दस्तावेजों शर्तनामों आदि पर अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना ।

7. सदस्यों से सदस्यता शुल्क दान चंदा आदि प्रबन्धक/सचिव में से एक के हस्ताक्षर रसीदों पर आवश्यक होंगे।

8. संस्था की अदालती कार्यवाही कराना ।

10. अन्य वे सभी कार्य करना जो संस्था के हित में हों प्रबन्ध समति द्वारा समय-समय पर स्वीकृत किये जायेंगे।

11. संस्था के प्रत्येक कार्य की जांच करना एवं सुझाव देना।

12- निरीक्षक :- संस्था से सम्बन्धित सभी अभिलेखों को लिपिबद्ध करना।

शिवकुमार
मुन्ना सिंह
बुद्धमान सिंह
महेन्द्र प्रताप (सिं)
गौरी शंकर
नरेन्द्र सिंह
Ramavtar

कोषाध्यक्ष :

1. संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण या निरीक्षण करना।
2. संस्था के कोष सम्बन्धी अभिलेख तैयार करना ।
3. संस्था के अध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव द्वारा सौपे गये कार्यों को करना ।
4. प्रचार-प्रसार सम्बन्धी कार्य करना कार्यक्रमों के आयोजनों की व्यवस्था करना। अध्यक्ष सचिव/प्रबन्धक के निर्देशानुसार कार्य करना ।
5. अन्य वे सभी कार्य करना जो प्रबन्ध समिति द्वारा सौपे गये हों ।

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर मण्डल कानपुर

प्रबन्धक
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर · औरैया।

कमलेश कुमारी
अध्यक्ष
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर - औरैया

Scanned with OKEN Scanner

7. **संस्था क नियमों एवं विनियमों में संशोधन की प्रक्रिया करना :** संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से सोशायटी रजि0 अधिनिमय की धारा 12 के अनुसार साधारण सभा की बैठकों में किये जायेंगे।

8. **संस्था को कोष एवं आय के श्रोत :** संस्था का समस्त कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका आहरण प्रबन्धक/सचिव/अध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

उद्देश्यों की पूर्ति के लिये केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, समाज कल्याण विभाग, केन्द्रीय कल्याण सलाहकार बोर्ड, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग एवं ग्रामीण कुटीर उद्योग निदेशालय, कपार्ट, डबाकरा, सूडा सेल, ट्राई सेम, डी.आर.डी.ए., नवार्ट, अवार्ट, सिडबी, महिला एवं बाल विकास विभाग मानव संशाधन विकास मंत्रालय, देश, विदेश अन्य सभी सरकारी विभागों से दान अनुदार चनदा ऋण चल व अचल सम्पत्ति आदि प्राप्त करेगी। सदस्यों से सदस्यता शुल्क व चंदा आदि लेगी बैंकों से ऋण आदि प्राप्त करेगी।

9. **संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण व निरीक्षण :** संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण निरीक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य व्यक्ति द्वारा या चार्टड एकाउण्ट द्वारा कराया जायेगा।

10. **संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तर दायित्व :** संस्था द्वारा होने वाली अदालती कार्यवाही की संचालन पैरवी अध्यक्ष एवं प्रबन्धक/सचिव द्वारा की जायगी अथवा उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति एडवोकेट द्वारा की जायेगी।

11. **संस्था का उत्तर दायित्सव एवं ऋण के पक्ष में जमानत हेतु :** संस्था द्वारा लिये गये आर्थिक सहायता की अदायगी के उत्तरदायत्वि प्रबन्धकार्यकारिणी समिति के प्रत्येक सदस्य पर सामूहिक रूप से व्यक्तिगत होगा यह दायित्व सदस्यों पर तब तक बना रहेगा जब तक की ऋणदाता के ऋण की पूर्ण अदायगी न हो जाये चाहे भले ही संस्था से पृथक ही क्यों न हो गया हो।

सत्य-प्रतिलिपि

प्रबन्धक

अध्यक्ष

वरिष्ठ सहायक

कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

ऋण के पक्ष में संस्था की निजी अचल सम्पत्ति का सम्यक बन्धक होगा यदि संस्था के पास निजी अचल सम्पत्ति नही है तो संस्था का कोई सदस्य अथवा पदाधिकारी अथवा सब मिलकर अपनी निजी अचल सम्पत्ति का ऋणदाता को निबंधन अधिनियम की धारा 5 ए के अनुसार बन्धक कर सकेंगे। ऋण आवेदन पत्रों को भरना ऋण प्राप्त करना आदि सम्बन्धित पत्रोत्तर प्रबंधक/सचिव व अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

12. संस्था के अभिलेख :

1. सदस्यता रजिस्टर
2. कार्यकारिणी रजिस्टर
3. लेजर बुक/कैश बुक
4. एजेन्डा रजिस्टर
5. अन्य अभिलेख जो आवश्यक होंगे।

13. विघटन : संस्था के विघटन सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही रजि0 अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत् की जायेगी।

कार्यालय उप निबन्धक समितियाँ उत्तर प्रदेश कानपुर
सत्यमेव जयते

दिनांक: 28/11/05

सत्यप्रतिलिपि ....

नरेन्द्र सिंह
Ramautar
शिवकुमार
मुन्ना सिंह
लुकमान सिंह
महेन्द्र प्रताप
गोरीशंकर

हस्ताक्षर

विश्वनाथ सिंह

प्रबन्धक
स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति
बरमूपुर, औरैया।

कमलेश कुमारी

अध्यक्ष	प्रबन्धक	कोषाध्यक्ष
अध्यक्ष स्व० गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति	(विश्वनाथ सिंह)	(महेन्द्र प्रताप सिंह)
स्व0 गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति, बरमूपुर, औरैया	स्व0 गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति, बरमूपुर, औरैया	स्व0 गुलाब सिंह शिक्षा प्रसार समिति, बरमूपुर, औरैया

सत्य-प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उपनिबन्धक फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
कानपुर

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

GULAB SINGH SHIKSHA PRASAR SAMITI

01/12/2005

Permanent Account Number

AAALS2421F

Signature

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner